ऑन लाईन नं. RCMS 2018/00134

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टबर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : रीना, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 46/2018

1. मनफूलराम पुत्र गोरधन राम जाति नायक साकिन दुलापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. शंकर लाल पुत्र गोरधन राम जाति नायक साकिन दुलापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. मोहन लाल पुत्र गोरधन राम जाति नायक साकिन दुलापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. अनुबाई पत्नी लेखराम जाति नायक साकिन गजसिंहपुर तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 10.05.2018 जिसकी रूह से मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 1,2, व 3/1 का 0.558 हैक्टर रकबा का ईन्तकाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज किया गया बमुराद मन्सूख है।

उपस्थित :–

1.श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी

2.श्री हरबंस मिगलानी अधिवक्ता

:: आदेश :: **दिनांक :–29.11.2024**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि आसूराम, गोरधन राम पिसरान रिघा राम को नान कलेममैन्ट पर चक 5 सी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 27 में 25 बीघा रकबा अलाट किया गया। आसूराम व उसके वारिसान ने तमाम जमीन का बेचान कर दिया तथा आसूराम ने अपना तमाम हिस्सा का बेचान कर दिया था अब एक दावा सहायक जिलाधीश (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर की अदालत में पेश किया गया जो डिग्री कर दिया गया । डिग्री के आधार पर बिना अपीलांट को सुने ही उपरोक्त रकबा का बंटवारा कर दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय सहायक जिलाधीश श्रीगंगानगर ने केवल हिस्सा की ही घोषणा की गई थी। अब रेस्पोडेन्ट द्वारा उपरोक्त रकबा का इंतकाल के आधार पर जमीन का कब्जा दिनांक 11.07.2018 को करने लगे तो अपीलांट को पता चला कि उसने अपने नाम दिनांक 10.05.2018 को इंतकाल करवा लिया , पता चलते ही नकल की दरखवास्त दी नकल मिलते ही इस न्यायालय में अपील पेश कर रहे है जो ईल्म के अन्दर मियाद है:–

1. यह कि हुकम अदालत मातहत का गैर कानूनी है वह दोबारा गोर मिसल के है। नकल फैसला शामिल अपील हाजा है।
2. यह कि जब कि आसूराम ने अपना हिस्सा का बेचान कर दिया तो अन्नुबाई का कोई अधिकार नहीं बनता यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस यपर गोर नहीं किया इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।

3. यह कि अदालत मातहत ने जो डिग्री पारित की है वह केवल हिस्सा की ही घोषणा की है मगर अब इस इंतकाल की पालना में इस भूमि का कब्जा लिया जा रहा है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
4. यह कि आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया। यकतरफा तौर पर आदेश पारित किया गया। इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
5. यह कि इस जमीन के सम्बन्ध में एक वाद सहायक जिलाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष मनफूल राम बनाम अन्नु देवी चल रहा है जबकि उसमें कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक इंतकाल कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसलिए भी अदालत मातहत का आदेश निरस्त करने योग्य है।
6. यह कि अपील जनाबवाला के क्षेत्राधिकार में है।
7. यह कि अन्य वजूवाद वरवक्त बहस पेश किये जावेगें।
8. यह कि आदेश की जानकारी दो रोज पूर्व जब अपीलांट की भूमि जबरन कब्जा करने की कार्यवाही लगे तो पता चला, पता चलते ही नकल दरखवास्त दी नकल मिलते ही बिना किसी देरी के अपील पेश की जा रही है, जो ईल्म के अन्दर मियाद है।

लिहाजा अपील पेश कर अर्ज है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.05.2018 निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि आसूराम, गोरधन राम पिसरान रिघा राम को नान कलेममैन्ट पर चक 5 सी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 27 में 25 बीघा रकबा अलाट किया गया। आसूराम व उसके वारिसान ने तमाम जमीन का बेचान कर दिया तथा आसूराम ने अपना तमाम हिस्सा का बेचान कर दिया था अब एक दावा सहायक जिलाधीश (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर की अदालत में पेश किया गया जो डिग्री कर दिया गया । डिग्री के आधार पर बिना अपीलांट को सुने ही उपरोक्त रकबा का बंटवारा कर दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय सहायक जिलाधीश श्रीगंगानगर ने केवल हिस्सा की ही घोषणा की गई थी। आसूराम ने अपना हिस्सा का बेचान कर दिया तो अन्नुबाई का कोई अधिकार नहीं बनता क्योंकि अन्नुबाई आसूराम की उत्तराधिकारी है। उक्त विवादित जमीन के सम्बन्ध में एक वाद सहायक जिलाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष मनफूल राम बनाम अन्नु देवी चल रहा है जब तक सहायक जिलाधीश श्रीगंगानगर में विचाराधीन वाद का कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक इंतकाल कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। लिहाजा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.05.2018 निरस्त फरमाया जावें।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त विवादित रकबा के सम्बन्ध में सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 396/2013 अनवानी श्रीमती अन्नुबाई बनाम मनफूल वगैरा निर्णय दिनांक 10.09.2015 की पालना में इंतकाल संख्या 73 दिनांक 10.05.2018 तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर द्वारा स्वीकृत किया गया है। सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 396/2013 अनवानी श्रीमती अन्नुबाई बनाम मनफूल वगैरा निर्णय दिनांक 10.09.2015 की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 114/2015 अनवानी मनफूलराम बनाम अनुबाई अन्तर्गत धारा 223 टीनेसी एक्ट के तहत की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा उक्त अपील का निर्णय दिनांक 18.11.2015 द्वारा अपीलांट की अपील अस्वीकार कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर द्वारा उक्त विवादित इन्तकाल सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 396/2013 अनवानी श्रीमती अन्नुबाई बनाम मनफूल वगैरा निर्णय दिनांक 10.09.2015 की पालना में दर्ज किया गया जिसकी अपील सुनने का क्षेत्राधिकार भी माननीय न्यायालय का नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना में इन्तकाल दर्ज किया गया है न कि स्वयं के स्तर पर। अतः अपील अपीलांट क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि विवादित इंतकाल संख्या 73 दिनांक 10.05.2018 सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 396/2013 अनवानी श्रीमती अन्नुबाई बनाम मनफूल वगैरा निर्णय दिनांक 10.09.2015 के आधार पर दर्ज किया गया है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर द्वारा इन्तकाल संख्या 73 दिनांक 10.05.2018 जो स्वीकृत किया गया वह विधिसम्मत् है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है क्योंकि तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर द्वारा सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 396/2013 अनवानी श्रीमती अन्नुबाई बनाम मनफूल वगैरा निर्णय दिनांक 10.09.2015 की पालना में इन्तकाल स्वीकृत किया गया है। अतः अपील अपीलांट क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एंव रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।